

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 मई 2023 — वैशाख 14, शक 1945

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 26 अप्रैल 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-5/आठ-परि./2022. — छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (क्र. 59 सन् 1988) की धारा 65 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्र. 25 सन् 1991) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे समस्त व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, और एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जाएगा ।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव (परिवहन), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर, के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हों, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा ।

संशोधन प्रारूप

उक्त अधिनियम की अनुसूची में, —

प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक एक, दो एवं तीन से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

	(1)	(2)
एक.	मोटर साईकिल, जिसका लादान रहित वजन (क) 70 किग्रा. से अधिक नहीं है (ख) 70 किग्रा. से अधिक है, जिसका उपयोग चाहे ट्रेलर खींचने के लिए किया जाता है या नहीं	25.00 40.00

(1)		(2)
दो.	मोटर कार जिसका लादान रहित वजन – (क) 800 किग्रा. से अधिक नहीं है (ख) 800 से अधिक किन्तु 1600 किग्रा. से अधिक नहीं है (ग) 1600 से अधिक किन्तु 2400 किग्रा. से अधिक नहीं है (घ) 2400 से अधिक किन्तु 3200 किग्रा. से अधिक नहीं है (ङ) 3200 से अधिक प्रत्येक अनुयान (ट्रेलर) के लिए कर – जिसका लादान रहित वजन– (क) 1000 किग्रा. से अधिक नहीं है (ख) 1000 किग्रा. से अधिक	95.00 140.00 165.00 195.00 225.00 40.00 95.00
तीन.	रूपांतरित यान (अशक्त यात्री गाड़ी)	10.00

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.पी. पाण्डेय, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 26th April 2023

NOTIFICATION

No. F 5-5/VIII-Trans./2022. - The following draft further amendment in the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991, which the State Government, in exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicle Act, 1988 (No. 59 of 1988) and sub-section (1) of Section 23 of the Chhattisgarh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), proposes to make, is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 3 of the said Adhiniyam, for the information of all person likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person before the specified period, in office hours in office of the Secretary, Department of Transport, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In Schedule of the said Adhiniyam,-

For the entries relating to serial number I, II and III of First Schedule, the following shall be substituted, namely :-

(1)		(2)
I.	MOTOR CYCLE- The unladen weight of which - (a) does not exceed 70 kilograms. (b) exceeds 70 kilograms whether used for drawing a trailer or not.	25.00 40.00

	(1)	(2)
II.	II. MOTOR CAR- The unladen weight of which - (a) does not exceed 800 kgs. (b) exceeds 500 kgs. but does not exceed 1600 kgs. (c) exceeds 1600 kgs. but does not exceed 2400 kgs. (d) exceeds 2400 kgs. but does not exceed (e) exceeds 3200 kgs. Tax for each trailer the unladen weight of which - (a) does not exceed 1000 kgs. (b) exceed 1000 kgs.	95.00 140.00 165.00 195.00 225.00 40.00 95.00
III.	INVALID CARRIAGE-	10.00

This Notification shall be effective from the date of publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
 R.P. PANDAY, Deputy Secretary.